

स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम हेतु दिशानिर्देश

1. प्रस्तावना

किसी उद्यम के प्रारंभिक वृद्धि चरण में उद्यमियों के लिए पूंजी की आसान उपलब्धता अनिवार्य है। संकल्पना का साक्ष्य देने के बाद ही एंजेल निवेशकों और उद्यम पूंजी फर्मों से निधीयन उपलब्ध हो पाता है। इसी प्रकार, बैंक भी उन्हीं आवेदकों को ऋण देते हैं जिनके पास पहले से ही परिसम्पत्तियां होती हैं। अभिनव विचार वाले स्टार्ट अप्स को प्रारंभिक निधि उपलब्ध कराना आवश्यक है ताकि वे अवधारणा के साक्ष्य से संबंधित परीक्षण कर सकें।

स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) का उद्देश्य अवधारणा के साक्ष्य, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार में प्रवेश तथा वाणिज्यीकरण के लिए स्टार्ट अप्स के वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इससे ये स्टार्ट-अप्स उस स्तर तक पहुँचने में सक्षम होंगे, जहां वे एंजेल निवेशकों या उद्यम पूंजीपतियों से निवेश प्राप्त कर सकेंगे अथवा वाणिज्यिक बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर सकेंगे। पात्र स्टार्ट-अप्स को इस सीड फंड का संवितरण भारत भर में मौजूद पात्र इन्व्यूबेटर्स के ज़रिए किया जाएगा।

2. आवश्यकता

भारतीय स्टार्टअप परिवेश प्रारंभिक और 'अवधारणा के साक्ष्य' के विकास चरण में पूंजी की अपर्याप्तता से जूझता है। इस स्तर पर पूंजी की आवश्यकता अच्छे व्यावसायिक विचारों वाले स्टार्ट अप्स के लिए करो या मरो की स्थिति पैदा कर देती है। कई अभिनव व्यावसायिक विचार अवधारणा के साक्ष्य, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार में प्रवेश और वाणिज्यीकरण के लिए प्रारंभिक चरण में पूंजी की इस महत्वपूर्ण आवश्यकता के कारण असफल हो जाते हैं। ऐसे संभावनायुक्त मामलों को सीड फंड प्रदान करने का कई स्टार्ट-अप्स के व्यावसायिक विचारों के वैधीकरण, प्रमाणन पर बहुक्रामिक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे रोजगार सृजन होगा।

3. पात्रता मानदंड

3.1 स्टार्ट-अप्स के लिए पात्रता मानदंड

स्टार्टअप के लिए स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के तहत आवेदन करने का पात्रता मानदंड निम्नानुसार होगा:

1. डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप, जो आवेदन के समय से 2 वर्ष से ज्यादा पहले निगमित न हुआ हो
2. स्टार्टअप के पास उत्पाद या सेवा के विकास का कोई व्यावसायिक विचार हो जो बाजार के लिए उपयुक्त, वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य हो तथा जिसमें विकास की संभावना हो
3. स्टार्टअप को लक्षित समस्या का समाधान करने के लिए अपने मूल उत्पाद या सेवा या व्यावसायिक मॉडल या वितरण मॉडल या कार्य पद्धति में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना चाहिए।
4. सामाजिक प्रभाव, अपशिष्ट प्रबंधन, जल प्रबंधन, वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, जैव प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल ऊर्जा, आवाजाही, रक्षा, अंतरिक्ष, रेलवे, तेल और गैस, वस्त्र आदि जैसे क्षेत्रों में अभिनव समाधानों का निर्माण करने वाले स्टार्ट-अप्स को प्राथमिकता दी जाएगी।
5. स्टार्टअप द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार की किसी अन्य स्कीम के तहत 10 लाख रूपए से अधिक मौद्रिक सहायता प्राप्त नहीं की जानी चाहिए। इसमें प्रतियोगिताओं और बड़ी चुनौतियों से प्राप्त इनाम की राशि, सब्सिडी वाला कार्य स्थल, संस्थापक मासिक भत्ता, प्रयोगशालाओं तक पहुंच, अथवा प्रोटोटाइपिंग सुविधा तक पहुंच शामिल नहीं है।
6. कंपनी अधिनियम, 2013 तथा सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2018 के अनुसार, स्कीम के लिए इन्क्यूबेटर को आवेदन के समय स्टार्टअप में भारतीय प्रोमोटर्स द्वारा शेयरधारिता कम-से-कम 51% होनी चाहिए।
7. क्रमशः पैरा 8.1(i) और 8.1 (ii) के प्रावधानों को अनुसार, कोई भी स्टार्टअप एक बार से अधिक प्रारंभिक सहायता प्राप्त नहीं करेगा।

3.2 इन्क्यूबेटर्स के लिए पात्रता मानदंड

इन्क्यूबेटर्स के लिए स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम में आवेदन करने का पात्रता मानदंड निम्नानुसार है:

1. इन्क्यूबेटर एक कानूनी कंपनी हो:

- (क) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसायटी अथवा
- (ख) भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के तहत पंजीकृत एक न्यास, अथवा
- (ग) कंपनी अधिनियम 1956 अथवा कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अथवा
- (घ) किसी विधायी अधिनियम के ज़रिए निर्मित एक सांविधिक निकाय
2. इन्क्यूबेटर स्कीम के लिए आवेदन की तारीख तक कम-से-कम दो वर्ष के लिए प्रचालनरत होना चाहिए।
 3. इन्क्यूबेटर में कम से कम 25 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था हो।
 4. आवेदन की तारीख तक इन्क्यूबेटर में कम-से-कम 5 स्टार्ट-अप्स भौतिक रूप से इन्क्यूबेशन कर रहे हों।
 5. इन्क्यूबेटर के पास व्यवसाय विकास और उद्यमशीलता में अनुभवी पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी हो जिसकी सहायता एक सक्षम टीम द्वारा की जाएगी जो परीक्षण और विचारों के वैधीकरण में स्टार्ट-अप्स का मार्गदर्शन करने के साथ-साथ वित्त, विधिक और मानव संसाधन संबंधी कार्यों के लिए जिम्मेदार होगी।
 6. इन्क्यूबेटर को उन इन्क्यूबेटीज को प्रारंभिक निधि नहीं देनी चाहिए जो किसी तृतीय पक्षकार निजी कंपनी से निधीयन का इस्तेमाल कर रहे हैं
 7. इन्क्यूबेटर को केन्द्र/राज्य सरकार (सरकारों) द्वारा सहायता प्राप्त हो
 8. यदि इन्क्यूबेटर को केन्द्र/ राज्य सरकार (सरकारों) की सहायता प्राप्त नहीं होती:
 - (क) इन्क्यूबेटर कम-से-कम तीन वर्षों के लिए प्रचालनरत हो
 - (ख) आवेदन की तारीख तक इन्क्यूबेटर में कम-से-कम 10 अलग-अलग स्टार्ट- अप्स भौतिक रूप से इन्क्यूबेशन कर रहे हों
 - (ग) कम-से-कम 2 वर्षों के लिए लेखा परीक्षित वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें
 9. विशेषज्ञ सलाहकर समिति (ईएसी) द्वारा निर्धारित कोई अतिरिक्त मानदंड

4. विशेषज्ञ सलाहकर समिति (ईएसी):

डीपीआईआईटी द्वारा एक विशेषज्ञ सलाहकर समिति (ईएसी) का गठन किया जाएगा, जो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के समग्र कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदार होगी। ईएसी सीड फंड्स के आबंटन के लिए इन्क्यूबेटर्स का मूल्यांकन और चयन करेगी, प्रगति की निगरानी करेगी तथा स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में निधि के कुशल इस्तेमाल के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी।

विशेषज्ञ सलाहकर समिति (ईएसी) में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:

1. अध्यक्ष, प्रतिष्ठित व्यक्ति
 2. वित्तीय सलाहकर, डीपीआईआईटी अथवा उनके प्रतिनिधि
 3. अपर सचिव/संयुक्त सचिव/निदेशक/उप-सचिव, डीपीआईआईटी (संयोजक)
 4. जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) के प्रतिनिधि
 5. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के प्रतिनिधि
 6. इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के प्रतिनिधि
 7. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) के प्रतिनिधि
 8. नीति आयोग के प्रतिनिधि
 9. सचिव, डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप परिवेश, निवेशकों, आरएंडडी विषय में विशेषज्ञ, प्रौद्योगिकी विकास और वाणिज्यीकरण, उद्यमशीलता तथा अन्य संगत विषयों से नामित कम-से-कम तीन विशेषज्ञ।
5. इन्क्यूबेटर्स को सहायता के लिए दिशानिर्देश
- 5.1 विशेषज्ञ सलाहकर समिति (ईएसी) अनुदान सहायता हेतु इन्क्यूबेटर्स का मूल्यांकन करेगी। चुने गए इन्क्यूबेटर को उपलब्धि आधारित तीन (या) और तीन से अधिक किस्तों में 5 (पांच) करोड़ रुपए तक का अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक

- इन्क्यूबेटर के लिए अनुदान की मात्रा और किस्तों की सही मात्रा का निर्णय विशेषज्ञ सलाहकर समिति (ईएसी) अपने मूल्यांकन के आधार पर करेगी।
- 5.2 इन्क्यूबेटर्स केवल पात्र स्टार्ट-अप्स को संवितरण के लिए अनुदान का इस्तेमाल करेंगे और अनुदान का इस्तेमाल सुविधा निर्माण या किसी अन्य खर्च के लिए नहीं किया जाएगा।
 - 5.3 इन्क्यूबेटर को सीड फंड अनुदान के 5% की दर से प्रबंधन शुल्क के घटक का प्रावधान किया गया है (अर्थात यदि किसी इन्क्यूबेटर को 1 करोड़ रू. का सीड फंड दिया जाता है, तो 5% की दर से प्रबंधन शुल्क को मिलाकर कुल सहायता 1.050 करोड़ रू. होगी)
 - 5.4 इन्क्यूबेटर्स को दिए जाने वाले प्रबंधन शुल्क का इस्तेमाल इन्क्यूबेटर्स द्वारा सुविधा निर्माण या किसी अन्य प्रशासनिक खर्च के लिए नहीं किया जाएगा। प्रबंधन शुल्क का इस्तेमाल प्रशासनिक व्यय, चयन और स्टार्ट अप्स की सम्यक तत्परता, तथा लाभार्थी स्टार्टअप की प्रगति की समीक्षा के लिए किया जाएगा।
 - 5.5 इन्क्यूबेटर्स द्वारा उपलब्धि की प्राप्ति का साक्ष्य प्रस्तुत करने बाद उन्हें किस्त जारी की जाएगी, जैसा कि ईएसी से निर्णय लिया हो। प्रत्येक किस्त के साथ आनुपातिक प्रबंधन शुल्क भी जारी किया जाएगा।
 - 5.6 पहली किस्त कुल अनुमोदित प्रतिबद्धता के 40% तक हो सकती है। जब इन्क्यूबेटर के पास उपलब्ध नकदी ईएसी द्वारा कुल प्रतिबद्धता के 10% से नीचे चली जाती है, तो इन्क्यूबेटर अगली किस्त के लिए अनुरोध कर सकता है, जो उपलब्धि की प्राप्ति का साक्ष्य प्रस्तुत करने के 30 दिन के भीतर जारी की जाएगी।
 - 5.7 इन्क्यूबेटर को निधि की पहली किस्त की प्राप्ति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर अनुदान का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए।
 - 5.8 यदि इन्क्यूबेटर ने पहले 2 वर्षों के भीतर कुल प्रतिबद्धता का कम से कम 50% इस्तेमाल नहीं किया तो इन्क्यूबेटर आगे की किस्त के लिए पात्र नहीं होगा। वह ब्याज सहित सारी अप्रयुक्त निधि को लौटाएगा।

- 5.9 इन्क्यूबेटर्स के पास उपलब्ध अप्रयुक्त निधि पर अर्जित ब्याज को ध्यान में रखा जाएगा तथा अगली किस्त के समय समायोजित किया जाएगा।
- 5.10 लाभार्थियों का वित्त पोषण कुशलता और सावधानी से किया जाएगा। चुने गए इन्क्यूबेटर सीड फंड के उचित प्रबंधन और संवितरण के लिए जिम्मेदार होंगे।
- 5.11 चयनित इन्क्यूबेटर चयन, निगरानी और निधि के संवितरण तंत्र की पारदर्शी प्रक्रिया को बनाए रखेगा। इन्क्यूबेटर द्वारा यथोचित सावधानी के बाद चुने गए स्टार्ट अप्स को सीड फंड का संवितरण किया जाएगा।
- 5.12 इन्क्यूबेटर्स, नियमित कार्य संचालन, परीक्षण हेतु सहायता और विचारों के वैधीकरण, प्रोटोटाइप या उत्पाद विकास या वाणिज्यीकरण, के लिए मार्गदर्शन तथा वित्त, मानव संसाधन, कानूनी अनुपालन, तथा अन्य कार्यों के लिए, चुने गए स्टार्टअप्स को भौतिक अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार होंगे। यह भी उम्मीद है कि वे निवेशकों के साथ संपर्क सुविधा तथा विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समारोहों में प्रदर्शन के अवसर उपलब्ध कराएंगे। यदि चुने गए स्टार्टअप्स इन्क्यूबेटर की भौतिक अवसंरचना का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो इन्क्यूबेटर स्टार्टअप्स को सभी अन्य संसाधन व सेवाएं प्रदान करेंगे।
- 5.13 इन्क्यूबेटर द्वारा इस स्कीम के तहत सहायता हेतु चुने गए स्टार्टअप से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

6. इन्क्यूबेटर का चयन

- 6.1 इस स्कीम में भागीदारी के लिए भारत भर के इन्क्यूबेटर्स से <https://www.startupindia.gov.in> पर अथवा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से निर्धारित किसी अन्य प्लेटफार्म पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।

निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर इन्क्यूबेटर्सका चयन किया जाएगा:

- क. पात्रता मानदंड का पूरा होना
- ख. इन्क्यूबेटर टीम की गुणवत्ता
- ग. उपलब्ध अवसंरचना, परीक्षण प्रयोगशालाएं आदि

- घ. आईएसएमसी की संरचना (जैसा कि पैरा 7 में बताया गया है)
- ङ. पिछले तीन वर्षों के दौरान इन्क्यूबेटर द्वारा प्रदान की गई इन्क्यूबेशन सहायता:
- इन्क्यूबेट किए गए स्टार्टअप्स की संख्या
 - विकास करने वाले स्टार्टअप्स की संख्या अर्थात व्यवसाय विकास चक्र के एक चरण से अगले चरण तक प्रगति।
 - उन स्टार्ट अप्स की संख्या जिन्होंने बाद में निवेश प्राप्त किया
 - उन स्टार्टअप्स की संख्या जिन्होंने विगत 1 वर्ष में 1 करोड़ रु. से ज्यादा का राजस्व अर्जित किया
 - इन्क्यूबेटर के साथ जुड़ने की तारीख से स्टार्टअप की 2 वर्ष तक बने रहने की दर
- च. विगत तीन वर्षों में इन्क्यूबेटीज को विस्तारित निधीयन सहायता:
- इन्क्यूबेटर और स्टार्ट अप्स के बीच हस्ताक्षरित निवेश करार
 - निवेशित स्टार्ट अप्स की संख्या
 - इन्क्यूबेटीज को आवंटित कुल कॉर्पस
 - इन्क्यूबेटीज द्वारा बाह्य स्रोतों से प्राप्त कुल निवेश
- छ. पिछले तीन वर्षों में इन्क्यूबेटीज को दिया गया मार्गदर्शन
- नियुक्त मार्गदर्शकों की संख्या
 - प्रति स्टार्टअप प्रति माह आवंटित औसत मार्गदर्शन घंटे
 - इन्क्यूबेटीज द्वारा पंजीकृत आईपी (पेटेंट, कॉपीराइट, डिजाइन, और व्यापार चिह्न) की संख्या
- ज. पिछले तीन वर्षों में इन्क्यूबेटीज को प्रदान की गई अन्य सहायता:
- उद्योग/कॉर्पोरेट संपर्क
 - हितधारकों को जोड़ने के लिए आयोजित कार्यक्रम
 - अन्य कार्यक्रमों में भागीदारी
- झ. उन स्टार्ट अप्स की संख्या जिन्हें इन्क्यूबेटर सहायता देने का इच्छुक है।
- ञ. समय-सीमा सहित निधि परिनियोजन योजना के साथ निधि की मात्रा जिसके लिए आवेदन किया गया है।
- ट. कोई अन्य संगत मापदंड जिनका निर्णय ईएसी द्वारा किया गया हो
- 6.2 इन्क्यूबेटर्स के लिए आवेदन आमंत्रित करने की ऑनलाइन सुविधा पूरे वर्ष उपलब्ध होगी।
- 6.3 विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) की बैठक तीन महीने में कम से कम एक बार निम्नलिखित के लिए आयोजित की जाएगी:
1. इस अवधि के दौरान प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन करना

2. स्कीम के तहत निधि के लिए इन्क्यूबेटर का चयन
 3. निधि की कुल राशि का निर्णय करना तथा किस्तों की संख्या जिसमें यह प्रत्येक इन्क्यूबेटर को आबंटित की जानी है
 4. किस्तें जारी करने के लिए प्रत्येक इन्क्यूबेटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली उपलब्धियां निर्धारित करना
 - 6.4. ईएसी इस स्कीम के तहत स्वीकृत निधि की तुलना में इन्क्यूबेटर की प्रगति की निगरानी भी करेगी तथा यथा अपेक्षित कार्रवाई करेगी
 - 6.5. ईएसी स्कीम के तहत इन्क्यूबेटर्स के चयन के लिए समय-समय पर बेहतर दिशानिर्देश निर्धारित कर सकती है
 7. स्टार्टअप्स का चयन
 - 7.1. स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के लिए आवेदन करने वाला प्रत्येक इन्क्यूबेटर इन्क्यूबेटर सीड प्रबंधन समिति (आईएसएमसी) नामक समिति का गठन करेगा जिसमें विशेषज्ञ शामिल होंगे जो प्रारंभिक/सीड सहायता के लिए स्टार्टअप्स का मूल्यांकन और चयन कर सकते हैं। आईएसएमसी की संरचना निम्नानुसार होगी:
 - i. इन्क्यूबेटर का नामिति (अध्यक्ष)
 - ii. राज्य सरकार की स्टार्टअप नोडल टीम का प्रतिनिधि
 - iii. उद्यम पूंजी निधि या एंजेल नेटवर्क का प्रतिनिधि
 - iv. उद्योग का क्षेत्र विशेषज्ञ
 - v. शिक्षा जगत का विषय विशेषज्ञ
 - vi. दो सफल उद्यमी
 - vii. कोई अन्य संगत हितधारक
- प्रत्येक इन्क्यूबेटर की आईएसएमसी की अंतिम संरचना और सदस्यों को ईएसी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा तथा यह इन्क्यूबेटर्स के चयन के लिए महत्वपूर्ण मापदंड होगा।

7.2 स्टार्टअप्स का चयन खुली, पारदर्शी और उचित प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा, जिसमें अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगे:

- i. स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर निरंतर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।
- ii. आवेदन इस स्कीम के लिए संवितरण भागीदार के रूप में चुने गए किन्हीं तीन इन्क्यूबेटर्स से उनकी प्राथमिकता के क्रम में सीड फंड के लिए आवेदन कर सकते हैं
- iii. सभी प्राप्त आवेदनों को आगे के मूल्यांकन के लिए संबंधित इन्क्यूबेटर्स के साथ ऑनलाइन रूप में साझा किया जाएगा
- iv. आवेदक से टीम का ब्यौरा, समस्या संबंधी विवरण, उत्पाद/सेवा अवलोकन, व्यावसायिक मॉडल, उपभोक्ता ब्यौरे, बाजार के आकार, आवश्यक निधि की मात्रा, निधि की अनुमानित उपयोग योजना आदि का विवरण देने को कहा जा सकता है

इन्क्यूबेटर पैरा 3.1 में दिए गए पात्रता मानदंड के अनुसार आवेदकों को चुनेगा।

- v. आईएसएमसी द्वारा निम्नलिखित मानदंड के अनुसार पात्र आवेदनों का मूल्यांकन किया जाएगा।

	मानदंड	विवरण	भारिता (%)
1	क्या इस विचार की आवश्यकता है?	बाजार का आकार, यह किस बाजार अंतर को भर रहा है, क्या यह वास्तविक विश्व की समस्या का समाधान करता है?	पी
2	व्यवहार्यता	तकनीकी दावों की व्यवहार्यता तथा तर्कसंगतता, पीओसी तथा वैधीकरण के लिए प्रयुक्त/प्रयोग की जाने वाली पद्धति, उत्पाद विकास की रूपरेखा	क्यू
3	संभावित प्रभाव	उपभोक्ता की जनसांख्यिकी तथा इन पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव, राष्ट्रीय महत्व (यदि कोई हो)	आर
4	नोवेल्टी	प्रौद्योगिकी, संबद्ध आईपी की विशेषता/यूएसपी	एस
5	टीम	टीम की ताकत, तकनीकी और व्यावसायिकी विशेषता	टी
6	निधि के इस्तेमाल	राशि के इस्तेमाल की रूपरेखा	यू

	की योजना		
7	अतिरिक्त मानदंड	इन्क्यूबेटर द्वारा उपयुक्त समझा गया कोई अतिरिक्त मानदंड	वी
8	प्रस्तुतीकरण	समग्र आकलन	डब्ल्यू
			100%
मानदंड के लिए भारिता (पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू) प्रत्येक इन्क्यूबेटर द्वारा अलग-अलग तय की जा सकती है			

- vi. इन्क्यूबेटर आईएसएमसी के समक्ष प्रस्तुतीकरण के लिए आवेदकों के मूल्यांकन के आधार पर उनका चयन कर सकता है।
 - vii. आईएसएमसी आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन तथा प्रस्तुतीकरण के आधार पर आवेदकों का मूल्यांकन करेगा और आवेदन की प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर सीड फंड के लिए स्टार्टअप का चयन करेगा
 - viii. सभी इन्क्यूबेटर स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर वास्तविक समय आधार पर स्टार्टअप्स के मूल्यांकन की प्रगति के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएंगे।
 - ix. चुने गए स्टार्टअप्स संबंधित इन्क्यूबेटर के तहत प्रारंभिक निधीयन प्राप्त करेंगे जो आवेदन के दौरान साझा की गई उनकी प्राथमिकता के अनुसार उनका लाभार्थी के रूप में चयन करता है (उदाहरण के लिए, यदि प्राथमिकता 1 और प्राथमिकता 2 पर मौजूद इन्क्यूबेटर्स ने एक स्टार्टअप का चयन करता है, तो प्राथमिकता 1 इन्क्यूबेटर द्वारा निधीयन किया जाएगा। यदि प्राथमिकता 1 इन्क्यूबेटर अस्वीकार करता है तो प्राथमिकता 2 पर स्थित इन्क्यूबेटर द्वारा निधीयन किए जाएगा तथा यह क्रम इसी प्रकार जारी रहेगा)
 - x. सभी आवेदक स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर वास्तविकसमय आधार पर अपने आवेदन की प्रगति का पता लगा सकेंगे
 - xi. जिन आवेदकों को अस्वीकार किया जाएगा उन्हें भी ई-मेल के जरिए सूचित किया जाएगा
 - xii. एक बार अस्वीकार होने के बाद आवेदक नया आवेदन दायर कर सकते हैं
- 7.3. ईएसी स्कीम के तहत इन्क्यूबेटर्स के चयन के लिए समय-समय पर बेहतर दिशानिर्देश बना सकती है
8. इन्क्यूबेटर्स द्वारा स्टार्ट अप्स को सीड फंड के संवितरण के लिए दिशानिर्देश

8.1 इन्क्यूबेटर्स द्वारा पात्र स्टार्ट अप्स को निम्नानुसार सीड फंड संवितरण किया जाएगा:

1. अवधारणा के साक्ष्य के वैधीकरण अथवा प्रोटोटाइप विकास अथवा उत्पाद परीक्षण के लिए अनुदान के रूप में 20 लाख रु. तक। यह अनुदान उपलब्धि आधारित किस्तों में संवितरित किया जाएगा। ये उपलब्धियां प्रोटोटाइप के विकास, उत्पादन परीक्षण, बाजार में उतारने के लिए तैयार उत्पाद के विनिर्माण आदि से जोड़ी जा सकती हैं।
2. बाजार में प्रवेश, वाणिज्यीकरण, अथवा परिवर्तनीय ऋणपत्रों अथवा ऋण अथवा ऋण-संबंधी साधनों के जरिए वृद्धि के लिए 50 लाख रुपए तक
3. स्टार्टअप द्वारा सीड फंड का इस्तेमाल किसी सुविधा के निर्माण के लिए बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा और इसका इस्तेमाल केवल उस प्रयोजन के लिए किया जाएगा जिसके लिए यह प्रदान किया गया है

8.2 इन्क्यूबेटर को दिए गए कुल अनुदान की 20 प्रतिशत से अधिक राशि इन्क्यूबेटर द्वारा स्टार्टअप को अनुदान के रूप में नहीं दी जाएगी। इन्क्यूबेटर के पास उपलब्ध अप्रयुक्त निधि पर ब्याज की दर (जीएफआर के तहत यथा परिभाषित) को ध्यान में रखा जाएगा और डीपीआईआईटी द्वारा अगली राशि जारी करते समय समायोजित किया जाएगा।

8.3 परिवर्तनीय ऋणपत्रों, अथवा ऋण, अथवा ऋण-संबंधी साधनों के जरिए स्टार्टअप की सहायता के लिए निधि ऐसी ब्याज दर पर उपलब्ध कराई जाएगी जो मौजूदा रेपो दर से अधिक न हो। इन्क्यूबेटर द्वारा ऋण मंजूर करते समय कार्यकाल तय किया जाना चाहिए, जो 60 महीने (5 वर्ष) से अधिक नहीं होगा। स्टार्टअप के लिए 12 महीने की ऋण स्थगन अवधि उपलब्ध कराई जा सकती है। स्टार्टअप की प्रारंभिक अवस्था के कारण, यह अप्रतिभूत होगा और प्रमोटर या तृतीय पक्षकार से कोई गारंटी अपेक्षित नहीं होगी।

8.4 इन्क्यूबेटर पहली किस्त जारी करने से पहले चुने गए स्टार्टअप्स के साथ कानूनी करार लागू करेगा। इन्क्यूबेटर को यह सुनिश्चित करना होगा कि सीड फंड से संबंधित आवश्यक निबंधन एवं शर्तें, जिनमें उपलब्धियां भी शामिल हैं, करार में स्पष्ट रूप से बताई जाएं

8.5 बाद में किया जाने वाला संवितरण, स्टार्टअप और इन्क्यूबेटर के बीच करार के अनुसार पूर्व-निर्धारित उपलब्धियों की प्राप्ति से संबद्ध होगा।

- 8.6** स्टार्टअप को उनकी कंपनी के बैंक खाते में निधि प्राप्त होगी
- 8.7** अनुदान के लिए, चुने गए स्टार्टअप को पहली किस्त स्टार्टअप से आवेदन प्राप्त होने से **60** के भीतर जारी की जाएगी। स्टार्टअप को अनुदान की आगे की किस्त प्राप्त करने के लिए अंतरिम प्रगति संबंधी अद्यतन स्थिति और उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 8.8** स्टार्टअप परियोजना अवधि की समाप्ति पर अंतिम रिपोर्ट और लेखा परीक्षित उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा। असफल उद्यम के संबंध में, उद्यमी अपनी सीख और असफलता के कारणों का रिपोर्ट में उल्लेख करेगा/करेगी और निधि की राशि के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ इसे प्रस्तुत करेगा/करेगी
- 8.9** इन्क्यूबेटर अथवा इसका कोई कर्मचारी चयन, संवितरण, इन्क्यूबेशन या निगरानी की किसी भी प्रक्रिया के लिए स्कीम के तहत आवेदकों या लाभार्थियों से नकद अथवा सामान के रूप में कोई भी शुल्क वसूल नहीं करेगा
- 8.10** आवेदकों की समस्याओं, जैसे आवेदनों का देरी से मूल्यांकन, इन्क्यूबेटर द्वारा देरी से संवितरण आदि, के समाधान के लिए डीपीआईआईटी स्कीम हेतु एक शिकायत प्रकोष्ठ का गठन करेगा
- 9.** लेखांकन और निधि की उपयोगिता
- 9.1** इन्क्यूबेटर किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में एक अलग, परियोजना विशिष्ट ट्रस्ट और रिटेंशन अकाउंट (टीआरए) रखेगा। इस स्कीम के तहत निधि उपलब्धि के आधार पर तीन (अथवा) अधिक किस्तों में इसी खाते में जारी की जाएगी।
- 9.2** लाभार्थी स्टार्टअप से प्राप्त किसी निवल प्रतिफल का इस्तेमाल इस स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार स्टार्टअप्स की और सहायता करने के लिए किया जा सकता है (निवल प्रतिफल में मूलधन, ब्याज और लाभ शामिल होगा)। यदि तीन वर्ष तक इस राशि का इस्तेमाल स्टार्टअप्स के वित्तपोषण के लिए नहीं किया जाता तो यह डीपीआईआईटी के पास वापस आ जाएगी

- 9.3 प्रत्येक इन्क्यूबेटर को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में स्वीकृत, प्राप्त निधि और प्रत्येक स्टार्टअप को संवितरित निधि की विस्तृत रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी
10. सफल कार्यान्वयन के संकेतक
- 10.1 इन्क्यूबेटर्स को सभी लाभार्थी स्टार्टअप्स के लिए निम्नलिखित का पता लगाना होगा और रिकॉर्ड रखना होगा:
1. अवधारणा के साक्ष्य की प्रगति
 2. प्रोटोटाइप विकास की प्रगति
 3. उत्पाद विकास की प्रगति
 4. वास्तविक परीक्षण की प्रगति
 5. बाजार में शुरुआत की प्रगति
 6. प्राप्त किए गए ऋण, एजेंल अथवा वीसी निधीयन की मात्रा
 7. स्टार्टअप द्वारा नौकरियों का सृजन
 8. स्टार्टअप का उत्पादन
 9. कोई अन्य उपयुक्त मानदंड
- 10.2 चुने गए स्टार्टअप्स सभी प्रगति रिपोर्टों में इन्क्यूबेटर को उपर्युक्त मानदंडों का ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे
- 10.3 इन्क्यूबेटर अपने ऑनलाइन डैशबोर्ड के जरिए उपर्युक्त जानकारी तथा परिवर्तनीय ऋणपत्रों तथा ऋण साधनों (यदि कोई हो) के लिए निवेश संबंधी प्रतिफल स्टार्टअप इंडिया को वास्तविक समय आधार पर उपलब्ध कराएंगे और तिमाही आधार पर इसे ईएसी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
- 10.4 डीपीआईआईटी वर्ष 2024-25 के अंत तक एसआईएसएफएस के परिणामों का, विशेष रूप से एसआईएसएफएस की परिणामस्वरूप वित्तीय, सामाजिक और आर्थिक प्रतिफल के

संदर्भ में, मूल्यांकन करेगा। यह उपर्युक्त मानदंडों पर स्टार्टअप्स और इन्व्यूबेटर्स द्वारा साझा की गई जानकारी का विश्लेषण करके किया जाएगा।

10.5 यह स्पष्ट ही है कि प्रत्येक स्टार्टअप सफल नहीं हो सकता

11. सीड फंड के लिए दोबारा इन्व्यूबेटर आवेदक

यदि किसी इन्व्यूबेटर ने पहले जारी किए गए समस्त अनुदान को संवितरित अथवा प्रतिबद्ध कर दिया है तो वह इस स्कीम के तहत निधि के लिए पुनः आवेदन कर सकता है

12. प्रगति की निगरानी

12.1 विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) इस स्कीम के तहत चुने गए इन्व्यूबेटर्स के साथ स्कीम की प्रगति की समीक्षा करेगी

12.2 इन्व्यूबेटर्स वस्तुपरक मूल्यांकन के लिए ईएसी द्वारा यथा निदेशित रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे

12.3 चुने गए किसी इन्व्यूबेटर के खराब कार्यनिष्पादन के मामले में, ईएसी इन्व्यूबेटर को सीड फंड सहायता रोकने तथा आगे यथा अपेक्षित कार्रवाई करने का निर्णय ले सकती है

12.4 यदि चुना गया इन्व्यूबेटर उस प्रयोजन, जिसके लिए उसे अनुदान दिया गया है, को छोड़कर किसी अन्य प्रयोजन के लिए अनुदान का इस्तेमाल करता है तो उसके विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है
